झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 2971/2023

रखिशाल मरांडी, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता बैदन मरांडी, निवासी - लकड़वानी, डाकघर- बारा पलाशी, थाना - जामा, जिला - दुमका । ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

झारखंड राज्य ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री दुर्गा सी. मिश्रा, एडवोकेट।
राज्य की ओर से : श्री पंकज कुमार मिश्रा, एडिशनल पीपी

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान जे.एम.एफ.सी, दुमका द्वारा रामगढ़ थाना - केस संख्या 58/2019 के संबंध में जीआर केस संख्या 612/2019 से संबंधित दिनांक 22.02.2023 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत विद्वान जे.एम.एफ.सी, दुमका ने याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द कर दिया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता अदालत में पेश होने में विफल रहा, भले ही वह जमानत पर था और मामला विद्वान जेएमएफसी, दुमका की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण याचिकाकर्ता अपने वकील से संपर्क नहीं कर सका और उसे उसके बाद तय की गई

तारीख के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह चार अलग-अलग तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सका और न ही उसकी ओर से कोई पैरवी की जा सकी। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और प्रत्येक तारीख पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का वचन देता है, जिसके लिए जी.आर. केस संख्या 612/2019 अगली तारीख तय की जाएगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उचित आदेश पारित किया जाए।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दलील दी कि यदि याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का वचन देता है, तो उसे वहां जमानत के लिए प्रार्थना करनी होगी और यदि उसे जमानत दे दी जाती है, तो उसे नया जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा।

5. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण को सुनने और रिकॉर्ड में सामग्री का अध्ययन करने के बाद, यह अदालत इस विचार पर पहुंची है कि चूंकि याचिकाकर्ता इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और उन सभी तारीखों पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का वचन देता है, जिन पर जी.आर. केस संख्या 612/2019 की अगली तारीख तय की जाएगी; इसलिए, इस आपराधिक विविध याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देकर किया जाता है और यदि याचिकाकर्ता इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करता है, तो याचिकाकर्ता को जी.आर. केस संख्या के संबंध में दो जमानतदारों के साथ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का नया जमानत बांड प्रस्तुत करने पर नियमित जमानत दी जाए। 612/2019, इस शर्त के साथ कि वह निर्धारित प्रत्येक तारीख को शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा, जिस पर जी.आर. केस संख्या 612/2019 विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अगली बार निर्धारित की जाएगी, ट्रायल कोर्ट में।

6. यदि याचिकाकर्ता इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विद्वान ट्रायल कोर्ट को निर्देश

दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे का सामना करने से रोकने के लिए सभी कठोर कदम उठाए।

7. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 3 जनवरी, 2024
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।